भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 391
(19 जुलाई, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत लाभार्थियों का निरस्तीकरण

391. डॉ॰ उदित राजः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत 87 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीयन निरस्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ये सभी निरस्तीकरण आधार आधारित सत्यापन के अनुसार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) ऐसे निरस्तीकरण के कारण अनुमानित बचत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री राम कृपाल यादव)

(क) एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 1.94 करोड़ पंजीकृत लाभार्थियों को हटा दिया है। इसके कारण गलत पहचान, जाली जाब-का[illegible], गलत आवंटन, मृत्यु, व्यक्तियों के नए परिवारों में अंतरित होना आदि हैं।

(ख) जी,नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।